


14/5
2
पंजाबली पेश डूरे वकील प्राणीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजिठ एडी से प्राप्त हुए जिसे शाप पठ किये गये। विपक्षीगण को कितकी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके विकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्राणीगण का प्रा.पग स्वीकार किया जाकर निर्णय मध्यक से लिखा जाकर शा.प.प. किया गया। पंजाबली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 92/24 प्रा-पत्र

1- श्री अंकार 510 कजोड़ श्वाती निवासी भीमडियास तहसील माण्डल [कौरा]

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री सुरतदेव 510 आर्षुन जाट निवासी भीमडियास तहसील-माण्डल [कौरा]
(सुष्मांशित प्रा-पासलंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.5.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीमडियास पटवार हल्का भीमडियास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं 1050, 1051 कुल किता 0.2 रकबा 0.6197 हेक्टेयर रिथत है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.4.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमडियास पटवार हल्का भीमडियास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1050, 1051 कुल किता 0.2 रकबा 0.6197 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भागतनपुरा को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की भौजुदगी में भौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल